# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आर.के. जैन**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4213-एक/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 30-11-2016 पारित द्वारा तहसीलदार राजनगर जिला छतरपुर प्रकरण क्रमांक 34/अ-27/2014-15

---

1. संतोष पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ सोनी
2. विनोद पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ सोनी
3. ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ सोनी

निवासीगण राजनगर तहसील राजनगर जिला छतरपुर म.प्र. .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. गजाधर सोनी पुत्र नीलकंठ सोनी
2. आशारानी बेवा स्व. जगन्नाथ सोनी
3. हरविंद पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ सोनी
4. नरेन्द्र पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ सोनी
5. राजेश पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ सोनी
6. अरूण कुमार पुत्र स्व. श्री प्रेमनारायण सोनी
7. पिंकी पुत्री स्व. श्री प्रेमनारायण सोनी
8. मीनू पुत्री श्री प्रेमनारायण सोनी
9. सहोद्रा देवी बेवा प्रेमनारायण सोनी

निवासीगण राजनगर तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म.प्र. .....अनावेदकगण

---

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदक क्रं. 1

---

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 04/07/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार राजनगर जिला छतरपुर द्वारा पारित दिनांक 30-11-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 1 गजाधर सोनी द्वारा तहसीलदार राजनगर जिला छतरपुर के समक्ष मौजा राजनगर तहसील राजनगर जिला छतरपुर स्थित प्रश्नाधीन भूमि का उभय पक्ष के मध्य बटवारा किये जाने हेतु संहिता की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 34/अ-27/2014-15 दर्ज कर कार्यवाही प्रांरभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक 30-11-2016 की आदेश पत्रिका में निम्न टीप अंकित की गई है ।

" प्रकरण में दिनांक 10-10-2016 के आवेदन पर विचार किया गया । प्रकरण में इस स्तर पर स्वत्व संबंधी निर्धारण के लिये कार्यवाही रोकी नहीं जा सकती है । अत: आवेदन निरस्त प्रकरण में स्थल जांच हो चुकी है । प्रकरण अंतिम तर्क हेतु ।

C.F. 05-12-2016"

तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों के आधार पर ही प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । स्वत्व संबंधी विवाद का निपटारा सिविल न्यायालय पर बंधनकारी होता है । प्रकरण में सिविल न्यायालय का कोई स्थगन नहीं है । तहसीलदार ने प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया है । निगरानीकर्ता अपने तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रख सकता है, जिस पर अंतिम निर्णय उपरांत अन्य कानूनी उपाय का भी प्रावधान है । अत: प्रस्तुत निगरानी इसी स्तर पर निरस्त की जाती है ।

(आर.के. जैन) 4/7/18
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर